मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 4/6/2015

::अधिसूचना::

क्रमांक एफ–1–102/2011/अ–ग्यारह::मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1.विद्यमान नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात :–

"**3 सोसाइटी का ज्ञापन तथा उप–विधियां** :– धारा 5 के अधीन भरा जाने वाला सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक ज्ञापन प्ररूप एक में या ऐसे निकटतम प्ररूप में होगा जैसा कि परिस्थितिया स्वीकार करें तथा आदर्श उप–विधियों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्ररूप एक क में हो सकेगा ।" ।

2.विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात :–

अनुसूची
(नियम 4 देखिए)
फीस

(1)	धारा 7 के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण	सामान्य रूपए 3,000/– तत्काल रूपए 5,000/–
(2)	धारा 7 के अधीन महिला मण्डल/युवक मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	सामान्य रूपए 1,000/– तत्काल रूपए 1,500/–
(3)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचित अवैध कालोनियों के रहवासियों द्वारा गठित	कोई फीस नही

	समितियों का रजिस्ट्रीकरण (यह प्रावधान अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष के लिये लागू रहेगा)	
(4)	धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन	रूपए 1,000/–
(5)	धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन :–	
	(क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–	
	(एक) क्रय की अनुज्ञा के लिए	
	5 लाख तक	रूपए 10,000/–
	5 लाख से अधिक किन्तु 15 लाख तक	रूपए 20,000/–
	15 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख तक	रूपए 40,000/–
	25 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख तक	रूपए 80,000/–
	50 लाख से अधिक	रूपए 80,000 (+ प्रत्येक 5 लाख अथवा उसके भाग पर रूपये 10,000/–)
	(दो) विक्रय की अनुज्ञा के लिए	
	5 लाख तक	रूपए 10,000/–
	5 लाख से अधिक किन्तु 15 लाख तक	रूपए 20,000/–
	15 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख तक	रूपए 40,000/–
	25 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख तक	रूपए 80,000/–
	50 लाख से अधिक	रूपए 80,000/– (+ प्रत्येक 5 लाख अथवा उसके भाग पर रूपये 25,000/–)

	(तीन) प्रत्येक दान के लिये	रूपए 25,000/–
(ख)	उपधारा (2) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्यथा उपयोग के लिए	रेखांक(प्लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रूपए 50,000/– इनमें से जो भी अधिक हो
(6)	धारा 27 के अधीन विवरणी प्रतिवर्ष	रूपए 1,000/–
(7)	धारा 28 के अधीन संपरीक्षित विवरण प्रतिवर्ष	रूपए 1,000/–
(8)	धारा 29 के अधीन प्रतियां, निरीक्षण	रूपए 20/– प्रति पृष्ठ सामान्य निरीक्षण रूपए 40/– प्रति पृष्ठ तत्काल रूपए 100/– निरीक्षण के लिए प्रति रजिस्टर रूपए 100/–निरीक्षण विवरणी/ मूल फाईल.".

3. विद्यमान प्ररूप – एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"प्ररूप क्रमांक एक

(नियम 3 देखिए)

सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसाइटी का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम:–..... होगा।

2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक.....मोहल्ला..... तहसील.....जिला.....में स्थित होगा तथा इसका पता .... होगा।

	(तीन) प्रत्येक दान के लिये	रुपए 25,000/–
(ख)	उपधारा (2) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्यथा उपयोग के लिए	रेखांक(प्लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रुपए 50,000/– इनमें से जो भी अधिक हो
(6)	धारा 27 के अधीन विवरणी प्रतिवर्ष	रुपए 1,000/–
(7)	धारा 28 के अधीन संपरीक्षित विवरण प्रतिवर्ष	रुपए 1,000/–
(8)	धारा 29 के अधीन प्रतियां, निरीक्षण	रुपए 20/– प्रति पृष्ठ सामान्य निरीक्षण रुपए 40/– प्रति पृष्ठ तत्काल रुपए 100/– निरीक्षण के लिए प्रति रजिस्टर रुपए 100/–निरीक्षण विवरणी/ मूल फाईल.".

3. विद्यमान प्ररूप – एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"प्ररूप क्रमांक एक

(नियम 3 देखिए)

सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसाइटी का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम–..... होगा।

2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक.....मोहल्ला..... तहसील.....जिला.....में स्थित होगा तथा इसका पता .... होगा।

3. सोसाइटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद्, समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं :–

अनुक्रमांक (1)	पिता/पति के नाम के साथ नाम (2)	पद (3)	पूर्ण पता (4)	उपजीविका (5)
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				

5. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है।

हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं, उपरोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और हमने नीचे दर्शाए गए अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं :–

अनुक्रमांक	हस्ताक्षर करने वालों के नाम पिता / पति के नाम सहित	पूरा पता	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			
(7)			

6. हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप–विधियां प्ररूप–एक क को सोसाइटी की उप–विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

(अध्यक्ष) (सचिव) (कोषाध्यक्ष / सदस्य)

दिनांक .....

साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम–.....

पिता / पति का नाम.....

पूरा पता.....

प्ररूप एक क
(नियम 3 देखिए)
(सोसाइटी की उप–विधियां)

1. सोसाइटी का नाम ..... होगा।
2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मकान नंबर ..... मोहल्ला ..... तहसील..... जिला ..... मध्यप्रदेश में स्थित होगा।
3. सोसाइटी का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. सोसाइटी के उद्देश्य :–

(ज्ञापन के अनुसार)

.....

.....

.....

5. सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे :–

(क) संरक्षक सदस्य : वह व्यक्ति जो रुपए 1,000/– या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा;

(ख) आजीवन सदस्य : वह व्यक्ति जो रुपए 500/– या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा,

(ग) साधारण सदस्य : वह व्यक्ति जो रुपए 10/– प्रतिमाह या रुपए 120/– प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा;

(घ) अवैतनिक सदस्य : सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. स दस्यता की प्राप्ति.– प्रत्येक व्यक्ति को, जो सदस्य बनने का इच्छुक हो, प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

7. स दस्यता के लिए अर्हता ..– सोसाइटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हता आवश्यक है.–

(एक) आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए,

(दो) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए;

(तीन) उसका सोसाइटी के नियमों के प्रति विश्वास हो तथा वह उनका पालन करता हो;

(चार) वह सच्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. सदस्यता की समाप्ति .– निम्नलिखित में से किन्हीं भी स्थितियों में सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी .–

(एक) मृत्यु हो जाने पर ;

(दो) पागल हो जाने पर ;

(तीन) नियम 5 के अनुसार सोसाइटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर ;

(चार) त्याग पत्र देने पर यदि स्वीकृत हो जाता है तो , और

(पांच) नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी .–

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय तथा हस्ताक्षर तारीख सहित ;

(ख) सदस्यों के प्रवेश की तारीख, रसीद क्रमांक सहित ;

(ग) सदस्यता समाप्ति की तारीख।

10. (क) साधारण सम्मिलन.– ऐसे सदस्य जो कि नियम 5 के अंतर्गत दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के लिए हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित् किया जाएगा और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में सूचित किया जाएगा। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसाइटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।

(ख) प्रबंधकारिणी समिति.– प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन के कम से कम सात दिन पूर्व, सूचना दी जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11. साधारण निकाय की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व.–

(एक) पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना;

(दो) सोसाइटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना;

(तीन) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना;

(चार) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाए जाएं;

(पांच) सोसाइटी के अधीन चलाए जा रहे संगठन के आय–व्यय के लेखा की विवरणी को मंजूर करना;

(छह) वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12. प्रबंधकारिणी समिति का गठन.– ऐसे सदस्य, जो नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :–

(क) अध्यक्ष;
(ख) उपाध्यक्ष;
(ग) सचिव;
(घ) कोषाध्यक्ष;
(ङ) संयुक्त सचिव; और
(च) दो सदस्य।

13. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल.– प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंध समिति के गठन होने तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व.–

(क) उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना जिनके लिए सोसाइटी का गठन किया गया है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष, साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए आय–व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना;

(ग) सोसाइटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं के कर्मधारियों को वेतन तथा भत्तों का संदाय करना और सोसाइटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना;

(घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद / शिक्षकों की नियुक्ति करना;

(ङ) ऐसे आवश्यक कार्य करना जैसे कि समय–समय पर साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं;

(च) सोसाइटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना कोई स्थावर संपत्ति अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी;

(छ) सोसाइटी की उप–विधियों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, इसे संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सभा के समक्ष रखा जाएगा। संशोधन के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और यह विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार.– अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति तथा साधारण सम्मिलन की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ–साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार.– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, समस्त साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17. सचिव के अधिकार.–

(क) जब भी आवश्यक हो साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति की सभा बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना;

(ख) संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् आय–व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ग) सोसाइटी के समस्त प्रकार के कागज–पत्र तैयार करने की व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो रिपोर्ट, प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष सूचना के लिए रखी जानी चाहिए;

(घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/– तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार.– सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार.– सोसाइटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20. बैंक खाता.– सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/– रहेंगे।

21. रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी.– मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (कमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसाइटी की वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

22. विघटन.– सोसाइटी के उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

23. सम्पत्ति.– समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसाइटी के नाम से होगी। सोसाइटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), रजिस्ट्रार, सोसाइटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

6. विद्यमान प्ररूप छह तथा सात के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात् :–

"प्ररूप–छह
(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 21 के अधीन स्थावर संपत्ति के विक्रय, उपहार या अन्यथा अर्जित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

1.	सोसाइटी का नाम और पूरा पता	.....
2.	सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक तथा तारीख	.....
3.	अर्जित की जाने वाली/क्रय की जाने वाली/उपहार दी जाने वाली/अंतरित की जाने वाली/बेची जाने वाली या अन्यथा स्थावर संपत्ति का पूरा विवरण	.....
4.	सोसाइटी के प्रयोजन से भिन्न संपत्ति के क्रय/विक्रय या अन्यथा अंतरण के कारण अथवा उद्देश्य	.....
5.	सोसाइटी के कार्यकारी निकाय के सम्मिलन की तारीख जिसमें कि विक्रय/क्रय या अंतरित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।	.....
6.	स्थावर संपत्ति के क्रय, विक्रय या अंतरण आदि की अनुज्ञा के लिए.....रु की फीस चालान क्र. ..... दिनांक ..... द्वारा जमा की गई है जिसकी मूल प्रति संलग्न है	.....

हम, सोसाइटी के प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा घोषणा करते है कि :–

(1) हम अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यकारी निकाय के पदाधिकारी है, उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित है तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

(2) इस बात का समुचित रूप से सत्यापन कर लिया गया है कि उक्त संपत्ति का विक्रेता अनुसूचित जनजाति से सबध नहीं रखता है।

(3) उक्त संपत्ति का क्रय/विक्रय प्रतिषिद्ध नहीं है, यदि क्रय/विक्रय के लिए किसी प्राधिकरण की अनुज्ञा आवश्यक है तो यह हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

(4) सोसाइटी द्वारा संपत्ति कलक्टर के मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार क्रय/विक्रय की जाएगी। यदि हमारे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो हम मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड के दायी होंगे।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

अध्यक्ष.....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

सचिव.....

प्ररूप सात

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता .....

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख .....

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख .....

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख.....से तारीख.....तक

अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					
(6)					
(7)					

5. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन ..... रू. की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।

घोषणा

मैं..... पुत्र / पुत्री / पत्नि .....
आयु लगभग..... वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूं कि यदि मेरे व्दारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूंगा।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
(अध्यक्ष / सचिव)।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनिल भारतीय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार

पृष्ठा. कमांक एफ–1–102 / 2011 / अ–ग्यारह भोपाल, दिनांक 4/6/2015

प्रतिलिपि:–

1/ नियत्रंक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस विनाग को भिजवाने का कष्ट करें।
2/ रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3/ समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
4/ संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5/ समस्त सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अनिल भारतीय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार